Statement of shri Kishan Singh, Hindi Translator O/o Chief Engineer and Administrator, ALHW, Port Blair recorded on 21-12-09.

मैं किशन सिंह आज तारीख 21.12.09. को Shri Govind Ram, Executive Secretary,AAJVS/Asstt. Commissioner(TW) के केस में अपना बयान देने को हाजिर हुआ हूँ और Charged Officer Shri Govind Ram तथा Presenting Officer Shri Jamil Buksh के सामने यह बयान दे रहा हूँ ।

मेरी चाची श्रीमती कुन्ती देवी, का एक House site No. 17/1/1/2 स्कूल लाइन में स्थित था, जिसका मैं Power of Attorney था । उस ज़मीन का कुछ हिस्सा पडोसी ने कब्ज़ा कर लिया था और Revenue Deptt. में शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही थी । अतः मैं गोविन्द राम जी के पास consult करने के लिए अक्तूबर 2008 के पहले सप्ताह में शायद 03.10.08 को गया था । उन्हें मैं College के ज़माने से जानता हूँ और वह एक Tehsildar भी रह चुके हैं । उन्होंने मुझसे कहा कि वह House site का inspection करने के बाद मुझे परामर्श देंगें । उन्होंने यह भी कहा कि 07.10.08 को वह South Andaman के दौरे पर जाएंगे और लौटते हुए दोपहर में वह मेरी जमीन पर रूकेंगे । जैसी हमारे बीच बात हुई थी 07.10.2008 को करीब 2.00 बजे गोविन्द राम जी अपने जिप्सी गाड़ी में दक्षिणी अण्डमान की तरफ से हमारे उपरोक्त ज़मीन पर आए । मैं उनका इन्तज़ार कर रहा था । उन्होंने House site का मुआयना किया और मुझे Tehsildar के पास restoration of possession का केस करने को कहा । मैंने गोविन्द रान जी से अनुरोध किया कि वह मुझे लिखा दें । वह मुझे लिखाने लगे अतः थोड़ा समय लग गया । तभी करीब 2.45 को Minnie Bay की तरफ से एक P.C.R की जिप्सी आई और गोविन्द राम जी की गाड़ी के पास रूक गई । उसमें से उतरकर कुछ पुलिस वालों ने गोविन्द राम जी से कहा कि Jaya Lakshmi नाम की एक महिला ने फोन पर यह शिकायत की है कि आप Minnie Bay स्थित उनके मकान पर गए और उनके साथ बदतमीजी की । अतः आपको Aberdeen थाने चलना पड़ेगा । गोविन्द राम जी ने उन्हें समझाने का काफी प्रयास कि वह तो Tirur से आ रहे है और Minnie Bay तो वह गए ही नहीं । पर पुलिस वालों ने उनसे कहा कि आपको जो कहना है आप थाने चलकर कहो । अन्ततः गोविन्द राम जी को P.C.R की गाड़ी में Aberdeen थाना जाना पड़ा और उनकी गाड़ी पीछे–पीछे उनकी गई ।

(signature) 21/12/09

(Krishen Singh)